न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-77/2014/टोंक (2014/00034)

1. साफिया पत्नी उबेदुल्ला खां,
2. उजेरउल्ला उर्फ अजीम पुत्र उबेदुल्ला खां नाबालिग सरपरस्ती माता साफिया पत्नि उबेदुल्ला खां,
   जाति मुसलमान, निासी ग्राम रहीमपुरा, नयागावं, तह0 पीपलू, जिला टोंक।

अपीलांट्स

बनाम

1. रिजवाना पुत्री मो0 अजीज उर्फ मो0 मियां,
2. नाजामा पुत्री मो0 अजीज उर्फ मो0 मियां,
3. शबाना पुत्री मो0 अजीज उर्फ मो0 मियां,
   जाति मुसलमान, निवासी गोल की मस्जिद के पास, टोंक हाल मुकाम ग्राम कैलाशपुरी, तह0 पीपलू, जिला टोंक ।
4. साजेदा पुत्री अब्दुला खां उर्फ नोशे खां, जाति मुसलमान, निवासी गोल की मस्जिद के पास, टोंक हाल मुकाम ग्राम कैलाशपुरी, तह0 पीपलू जिला टोंक ।
5. जाहेदा पुत्री अब्दुला खां उर्फ नोशे खां पत्नी अजगज हुसैन,जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला शोरगरान, टोंक ।
6. जमीला पुत्री अब्दुला खां उर्फ नोशे खां पत्नी हबीब जाति मुसलमान, नि0 मोहल्ला शोरगरान, टोंक ।
7. ग्राम पंचायत, नानेर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, नानेर, तहसील पीपलू, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

<u>अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू, जिला टोंक दिनांक 18.7.2014 (4.7.2014) अंतर्गत अपील संख्या 4/2014.</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री समीर अहमद खान, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6.

निर्णय

दिनांक :– 27.11.2018

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 18.7.2014 (4.7.2014) (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 द्वारा विवादित आराजी खसरा संख्या 176, 200, 489, 490, 1054 कुल किता 5 कुल रकबा 34 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम रहीमपुरा उर्फ नयागांव तथा आराजी खसरा संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30 कुल किता 7 कुल रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम करीमनगर का नामांतकरण संख्या 1270 दिनांक 20.12.2013 ग्राम पंचायत नानेर द्वारा अस्वीकार किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, पीपलू के समक्ष प्रस्तुत की । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू ने निर्णय दिनांक 18. 7.2014 (4.7.2014) द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, पीपलू को प्रतिप्रेषित किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 की पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 1 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी तथा विलंब को क्षमा किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 भी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा ना ही विलंब के संतोषजनक कारण अधी0न्याया0 के समक्ष बताये गये थे जिससे रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित करने के आदेश पारित किये है जो विधिविरूद्ध है। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 द्वारा विवादित आराजियात के मूल खातेदार उबेदुल्ला खां द्वारा उनके पक्ष में जुबानी हिबा किये जाने तथा जुबानी हिबा के समर्थन में एक तहरीर यादास्त हिबा जुबानी दिनांक 10.10.2013 के आधार पर नामांतकरण रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के नाम तस्दीक किये जाने हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत, नानेर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नामांतकरण विवादित मानते हुए दिनांक 20.12.2013

को अस्वीकार कर दिया गया था जो उचित था क्योंकि उत्तराधिकार, वसीयत, दान जैसे जटिल विषय नामांतकरण की समरी कार्यवाही में तय नहीं किये जा सकते है । इस संबंध में नियमित वाद पेश किया जाना चाहिये ताकि साक्ष्य सबूतों के आधार पर विवादित आराजियात बाबत पूर्ण परीक्षण कर प्रकरण का निस्तारण हो सके, यह कानूनी बिन्दू अधी0न्याया0 के समक्ष उठाया गया था लेकिन अधी0न्याया0 ने उक्त कानूनी प्रावधान को नजरअदांज कर प्रकरण तहसीलदार, पीपलू को प्रतिप्रेषित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि तथाकथित हिबा तहरीर का रजिस्टर्ड होना आवश्यक था अन्यथा उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में याददास्ती हिबा जुबानी दिनांक 10.10.2013 पंजीकृत नहीं है जिससे उक्त दस्तावेज का कानून की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है तथा ऐसे विधिविरूद्ध दस्तावेज से रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज की वैधानिकता के निर्धारण का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 उक्त दस्तावेज को सक्षम सिविलि न्यायालय से साबित कराये बिना किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते है। अधी0न्याया0 द्वारा उक्त अपंजीकृत हिबा याददास्त दस्तावेज की जांच हेतु प्रकरण को अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 18.7.2014 (4.7.2014) निरस्त किया जावे तथा नामांतकरण संख्या 1270 दिनांक 20.12.2013 ग्राम पंचायत, नानेर बहाल फरमाया जावे ।

4- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 ने जवाब बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात के खातेदार स्व0उबेदुल्ला खां थे जिनकी मृत्यु दिनांक 22.11.2013 को हो चुकी है । मृत्यु से पूर्व उबेदुल्ला खां ने अपनी कृषि आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में रिश्तेदारों व गवाहान की मौजूदगी में जुबानी हिबा कर दी थी तथा जुबानी हिबा के संदर्भ में एक याददास्त दिनांक 10.10.2013 को तहरीर की जाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर अपीलांटस को दी थी । उक्त हिबा याददास्त के आधार पर रेस्पो0संख्या 1 से 6 ने ग्राम पंचायत, नानेर के समक्ष नामांतकरण हेतु आवेदन किया किन्तु पटवारी हल्का ने विवादित आराजियात का नामांतकरण रेस्पो0 के हक न भरकर खातेदार की तलाकशुदा पत्नि साफिया व पुत्र उजेरउल्ला उर्फ अजीम के नाम भर दिया तथा नामांतकरण संख्या 1270 दिनांक 8.12.2013 को पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर गिरदावरी हल्का के समक्ष रखा गया जिसे दिनांक 20.12.2013 को ग्राम पंचायत, नानेर के समक्ष आम सभा में रखे जाने पर ग्राम पंचायत ने नामांतकरण को विवादित मानते हुए अस्वीकार कर दिया । ग्राम पंचायत को नामांतकरण विवादित होने की स्थिति में तहसीलदार को प्रेषित करना चाहिये था ना कि अपास्त करना चाहिये । अधी0न्याया0 ने ग्राम पंचायत नानेर द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित कर

निर्देश दिये है कि दोनों पक्षों को सुनकर तथा विधि के अनुसार अनरजिस्टर्ड हिबानामा व विरासत की जांच कर कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित करे । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांटस ने जो बिन्दू न्यायालय हाजा के समक्ष उठाये वे तहसीलदार के समक्ष उठा सकते है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में खातेदार द्वारा निष्पादित हिबानामा दिनांक 10.10.2013 के आधार पर रेस्पो0 द्वारा ग्राम पंचायत, नानेर के समक्ष नामांतकरण हेतु आवेदन किया गया जिस पर पटवारी हल्का ने नामांतकरण संख्या 1270 दिनांक 08.12.2013 को भरकर गिरदावर हल्का के समक्ष पेश किया । गिरदावर हल्का द्वारा तथाकथित नामांतकरण को ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किये जाने पर ग्राम पंचायत ने नामांतकरण संख्य 1270 दिनांक 20.12.2013 को विवादित मानकर नामांतकरण को अस्वीकार करने के आदेश पारित किये है । यह सही है कि नामांतकरण विवादित होने की स्थिति में ग्राम पंचायत को ऐसे नामांतकरण को निर्णित करने का विधिक अधिकार नहीं है किन्तु ग्राम पंचायत, नानेर को नामांतकरण संख्या 1270 को अस्वीकार करने के बजाय प्रकरण को तहसीलदार को प्रेषित करना चाहिये था किन्तु ग्राम पंचायचत, नानेर ने प्रकरण को तहसीलदार को प्रेषित करने के बजाय स्वंय के स्तर पर अस्वीकार करने के आदेश पारित किये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना सकता है । अधी0न्याया0 ने इन्हीं तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए रेस्पो0संख्या 1 लगायत 6 की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, पीपलू को प्रेषित कर निर्देश दिये है कि उभयपक्ष को सुनकर अनरजिस्टर्ड हिबानामा व विरासतस की जांच कर कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित करे । अनरजिस्टर्ड हिबानामा के आधार पर रेस्पो0 को हक व अधिकार प्राप्त होते है अथवा नहीं के संबंध में अपीलांटस अपना उज्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अधी0न्याया0 ने प्रकरण तहसीलदार, पीपलू को जांच एवं उभयपक्ष को सुनकर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

6- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस अपास्त योग्य तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.7.2014 (4.7.2014) यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–ःक्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 77/2014 (2014/00034) बउनवानी साफिया बनाम रिजवाना व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा प्रकरण संख्या 4/2014 बउनवान रिजवाना बनाम ग्राम पंचायत, नानेर में पारित निर्णय दिनांक 18.7.2014 (4.7.2014) को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 27.11.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.11.28 11:57:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: